

Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

हरप्रीत कौर कुमार बनाम सुखमन्दर सिंह आदि


किस मुकदमा अन्तर्गत 88-188-92ए आर टी एक्ट

जी.सी.एन.एस. आईडी 2025/336 नम्बर 148 सन् 2025

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही नय इण्डियन जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए</p>
-------------------	--	---

23.07.2025 वादीया हरप्रीत कौर कुमार पुत्री श्री सुखमन्दर सिंह पति स्व. श्री चड सिंह जाति जटसिख निवासी 28 आर वी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगानगर की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार भादू अधिवक्ता ने वाद-पत्र प्रस्तुत किया। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.09.2025 को पेश हो। च


1032
23/7/25



(सुमा चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

28/7/25 चाड वादिफ हरप्रीत कौर के हुकम
जुअर के हुकम में पेश किया कि लीटर
वादिफ के अधिवक्ता ने कपड के हुकम
के वादिफ एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक
अदालत की वापस पत्र पत्रावली के निमित्त
अनुसार कर्मीनाम के हुकम होकर वादि
फ के श्री सुमा चन्द्र के मध्य पेश करने
के लिये तलब की जावे।

not mus
an nu
28/7/25

वादिफ के ज्ञापक के आधारे पत्र
पत्र के हुकम हुकम हुकम के हुकम
के लिये तलब किया वादिफ के हुकम के
आगे नये हुकम के पत्र होकर वादि
फ के हुकम हुकम हुकम के हुकम के
के लिये तलब की जावे। पत्रावली निमित्त
के हुकम हुकम के हुकम हो।
निमित्त हुकम सुमा चन्द्र के हुकम




उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

